

UPET110123092022



**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेश्वर, एटा**

**J.O. Code. U.P. 1995**

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-846/2022  
प्रमोद कुमार ----बनाम-----राज्य

**07.10.2022**

**आदेश**

अभियुक्त प्रमोद कुमार की ओर से अपराध सं०-89/2021 अ०धारा-279,338,427 भा०दं०सं०, थाना निधौली कला, जिला एटा के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपराध जमानतीय है।

अभियोजन पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अपराध जमानतीय है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। जिससे विदित है कि उक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अभियुक्त प्रमोद कुमार की ओर से अपराध सं०-89/2021 अ०धारा-279,338,427 भा०दं०सं०, थाना निधौली कला, जिला एटा के प्रकरण में प्रत्येक द्वारा मु०-20,000/-रुपये का एक व्यक्तिगत बंध पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जलेश्वर, एटा**